

3 AS. Bip. lode

प्रेषक

महा-निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।
2. हरियाणा राज्य में सभी बोर्डों/निगमों के प्रबन्धक निदेशक ।
3. हरियाणा राज्य में सभी उपायुक्त ।

यादी क्रमांक 2280-टीए-हर-18टी-2016 / 3325-97

दिनांक: 10/5/16

विषय:-

वरिष्ठ लेखाधिकारी व मुख्य लेखाधिकारी की वर्ष 2015-16 की गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में

वरिष्ठ लेखाधिकारियों व मुख्य लेखाधिकारियों की वर्ष 2015-16 की लिखने हेतु निर्धारित प्रोफार्मा इस अनुरोध के साथ सलंगन है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी व मुख्य लेखाधिकारी की वर्ष 2015-16 की गोपनीय रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी से लिखवाकर अपनी टिप्पणी सहित इस विभाग को शीघ्र अति शीघ्र भेजने का कष्ट करें ।

2.

इस सम्बन्ध में आपका ध्यान मुख्य सचिव, हरियाणा

सरकार की हिदायते क्रमांक 60/4/97 (एस-1) दिनांक 7.8.97 की ओर दिलाते हुए अनुरोध है कि इसके तहत दिनांक 30.6.15 तक गोपनीय रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें ।

संयुक्त निदेशक,

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ० क्रमांक 2280-टीए-हर-18टी-2016 /

दिनांक:

इसकी एक प्रति हरियाणा राज्य में सभी प्रशासकीय सचिव को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

sd2

संयुक्त निदेशक,

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

प्रेषक

महा-निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।
 2. हरियाणा राज्य में सभी बोर्डों/निगमों के प्रबन्धक निदेशक ।
 3. हरियाणा राज्य में सभी उपायुक्त ।
- यादी क्रमांक 2280-टीए-हर-18टी-2016 /
दिनांक:


विषय:-

वरिष्ठ लेखाधिकारी व मुख्य लेखाधिकारी की वर्ष 2015-16 की गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में


वरिष्ठ लेखाधिकारियों व मुख्य लेखाधिकारियों की वर्ष 2015-16 की लिखने हेतु निर्धारित प्रोफार्मा इस अनुरोध के साथ सलंगन है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी व मुख्य लेखाधिकारी की वर्ष 2015-16 की गोपनीय रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी से लिखवाकर अपनी टिप्पणी सहित इस विभाग को शीघ्र अति शीघ्र भेजने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में आपका ध्यान मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की हिदायते क्रमांक 60/4/97 (एस-1) दिनांक 7.8.97 की ओर दिलाते हुए अनुरोध है कि इसके तहत दिनांक 30.6.15 तक गोपनीय रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें ।


संयुक्त निदेशक,
कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ० क्रमांक 2280-टीए-हर-18टी-2016 / 3398 दिनांक: 10/5/16

इसकी एक प्रति हरियाणा राज्य में सभी प्रशासकीय सचिव को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।


संयुक्त निदेशक,
कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।